इग्नू बी.एड. पाठ्यक्रम 2014 में काउंसलिंग में उपस्थित होने संबंधी दिशानिर्देश

प्रवेश हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की **राजपत्रित अधिकारी** द्वारा **प्रमाणित छायाप्रतियां एवं** जांच हेतु **मूल प्रतियां** विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी:–

1. हाईस्कूल अंकपत्र **(Marksheet)** एवं प्रमाणपत्र की **प्रमाणित छाया प्रतियां** एवं **मूल प्रतियाँ।**
2. स्नातक तथा स्नातकोत्तर के अंकपत्र की **प्रमाणित छाया प्रतियां** एवं **मूल प्रतियाँ।**
3. जाति प्रमाणपत्र (पिछड़ी जाति – नॉनक्रीमीलेयर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये) की **मूल प्रति** एवं **प्रमाणित छायाप्रति।**
4. विकलांग/काश्मीर प्रवासी/युद्ध शहीद की धर्मपत्नी (जो भी आवेदित किया हो) उस श्रेणी के लिये तत्संगत प्रमाण–पत्र की **मूल प्रति** एवं **प्रमाणित छायाप्रति।**
5. अनुभव प्रमाण पत्र की **मूल प्रतियाँ (Original)** तथा **प्रमाणित छाया प्रतियाँ** भूतपूर्व सभी स्कूलों के लिये।
6. रोजगार प्रमाणपत्र (**Employment Certificate**) की **मूल प्रति** वर्तमान स्कूल द्वारा प्रवेश निर्देशिका में **दिए गए प्रारूप के अनुसार (काउसलिंग तिथि तक का बना/नवीनतम)**
7. भूतपूर्व तथा वर्तमान स्कूल द्वारा जारी किये गये **नियुक्ति पत्रों** (नियुक्त की तिथि, पद, वेतन दर्शाते हुए) की **मूल प्रतियाँ** तथा **प्रमाणित छाया प्रतियाँ।**
8. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विद्यालय को जारी किए गये मान्यता प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रतियां (शासकीय स्कूल को छोड़कर) **उन सभी वर्षों के लिए जिनका अनुभव आपके द्वारा दर्शाया गया है।**
9. मूल प्रवेश परीक्षा पत्र **(IGNOU- BED Entrance Admit Card)**
10. वर्तमान की एक पासपोर्ट साइज की सुस्पष्ट फोटो।
11. **रू. 20,000/–** (रूपये बीस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट **इग्नू (IGNOU)** के नाम पर **जबलपुर** में देय हो।
12. अभ्यर्थी एवं अभिभावक द्वारा **रैंगिंग का मूल शपथ– पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित,** प्रवेश निर्देशिका में दिए गए प्रारूप के अनुसार।
13. सेकेण्डरी/सीनियर सकेण्डरी स्कूल द्वारा बीएड. **प्रायोगिक कार्य हेतु, शिक्षण व्यवस्था अनुमति** दिये जाने हेतु **मूल प्रमाणपत्र** (प्रवेश निर्देशिका में दिए गए प्रारूप के अनुसार)।
14. महिला अभ्यर्थियों का विवाह के कारण यदि उपनाम **(SURNAME)** परिवर्तित हो गया हो तो उसे प्रयुक्त करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों को अनिवार्यतः जमा करना होगा:–

    (i) विवाह प्रमाण पत्र(रजिस्ट्रार (विवाह) के द्वारा जारी किया गया) की सत्यापित छायाप्रति।
    (ii) नोटरी द्वारा प्रमाणित किया गया शपथ–पत्र एवं राजपत्र की छायाप्रति जिसमें आपका नाम उल्लेखित हो।
    (iii) दैनिक समाचार पत्र में अधिसूचना की मूलप्रति नाम/उपनाम, परिवर्तित होने संबंधित।
    (iv) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (नाम परिवर्तन हेतु) से जारी किया गया उपयुक्त मूल्य के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।
    (v) नाम/उपनाम परिवर्तन को दर्शाती हुयी गजट अधिसूचना।

नोटः– यदि बिन्दु कमांक 14 के अनुसार दस्तावेज नहीं हो तो 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र/अंकसूची में अंकित नाम ही मान्य होगा।

15. अन्य पिछड़ा वर्ग **(OBC)** के अभ्यर्थी Non-creamy Layer श्रेणी का लाभ लेने के लिए नवीनतम आय प्रमाण–पत्र अवश्य जमा करें।
16. यदि हाई स्कूल तथा अन्य अंक पत्रों एवं प्रमाण **पत्रों में नाम/नामाक्षर में भिन्नता हो** तो इस आशय का **मूल शपथ पत्र नोटरी** द्वारा बनवाकर प्रस्तुत करें।

ज्ञातव्य है कि अतिथि/अंशकालिक/अवैतनिक शिक्षक वि.वि. के नियमानुसार प्रवेश के पात्र नहीं होंगे तथा अभ्यर्थी का शिक्षण अनुभव आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त/सरकारी स्कूल में 2 वर्ष पूर्ण होना चाहिये एवं उसे वर्तमान में भी कार्यरत होना चाहिये। काउंसलिंग अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको की मेरिट के अनुसार घटते क्रम में होगी। यदि कोई अधिक अंक प्राप्त करने वाला **अभ्यर्थी काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होता है या अनिवार्य दस्तावेजों एवं निर्धारित शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट काउंसलिंग के दिन प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह स्थान मेरिट में उपस्थित दूसरे अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा।** अतः निश्चित समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर निर्धारित प्रमाणपत्र, शुल्क जमा करें अन्यथा आपका अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाएगा।

यह बुलावा पत्र औपबंधिक है तथा आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए योग्यता एवं अनुभव प्रमाणपत्रों पर आधारित है। **अशासकीय शिक्षण** संस्था से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए :– संस्था संचालन की मान्यता के लिए संस्था द्वारा प्रतिवर्ष नवीनीकरण के समय संस्थाओं में कार्यरत प्राचार्य/शिक्षक/कर्मचारियों की शाला में नियुक्ति होने से संबंधित जानकारी संस्था द्वारा नस्ती के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिया जाना अनिवार्य है। विद्यालय के शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर में शाला के समस्त पदस्थ प्राचार्य/शिक्षक/कर्मचारियों का नाम शिक्षक उपस्थिति पंजी में होना आवश्यक है। **यदि भविष्य में जांच कराये जाने पर योग्यता एवं अनुभव प्रमाणपत्र असत्य पाए गए तो आपका प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी व विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।**